

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: [seiaacg@gmail.com](mailto:seiaacg@gmail.com)

**विषय:—** राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

-----000-----

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 264वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 07/12/2018 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री जी.एल. सांकला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:—

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-1:** दिनांक 06/12/2018 को संपन्न 263वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 06/12/2018 को संपन्न 263वीं बैठक हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-2:** 262वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-3 के अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु उपयुक्त पाए गये प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स ओरियंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-टेडेसरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 166)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 83046/ 2018, दिनांक 20/10/2018।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-टेडेसरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1 एवं 74/2, कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ (4.04 हेक्टेयर) में स्थापित रोलिंग

मिल क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु ईंधन में परिवर्तन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 25 लाख होगा।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 287, दिनांक 06/08/2010 द्वारा उद्योग को रोलिंग मिल क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

**पूर्व बैठक का विवरण** – समिति की दिनांक 05/12/2018 को संपन्न 262वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि निम्नानुसार जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 07/12/2018 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए:—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान रोलिंग मिल में स्थापित री-हीटिंग की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत करें।
3. वर्तमान ईंधन एवं ईंधन परिवर्तन के कारण क्षमता से उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
4. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (क्षमता, नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश आहुजा, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वॉयरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:—

#### 1. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा रोलिंग मिल 72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जो दिनांक 30/09/2019 तक की अवधि हेतु है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में स्थापित रोलिंग मिल (फर्नेस ऑयल आधारित) क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्नेस ऑयल के स्थान पर पल्वराईज्ड कोल के उपयोग हेतु स्थापित रोलिंग मिल क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन चाहा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईंधन परिवर्तन पश्चात् फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं किया जावेगा।
  - फर्नेस ऑयल एवं पल्वराईज्ड कोल संबंधी विवरण –**

Details	Fuel Required
<b>Rolling Mill (240 Tonnes/ Day)</b>	
Furnace oil	13.20 KL/ day
Calorific value of furnace oil	9,600 Kcal / liter
Total heat rate for rolling mill	5,28,000 Kcal / Ton
Calorific value of coal	3,200 Kcal / kg
Coal requirement	165 Kg / Tons
Hence total coal requirement (For 240 tonnes/ day)	39,600 Kg / day Say 40.00 tonnes / day

- कोल हेतु मटेरियल बैलेंस –**

Input (In Tonnes / Day)	
Fuel requirement	Quantity
Coal	40.00
<b>Total</b>	<b>40.00</b>

Output (In Tonnes / Day)	
Solid Waste/ Losses	Quantity
Ash	13.60
Losses due to burning	26.40
<b>Total</b>	<b>40.00</b>

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन –**

S.N.	Solid waste	Quantity	Disposal
1.	Mill Scales	3.0 Tonnes / Day	Sold to nearby pellets plant, ferro alloys manufacturing units & casting units.
2.	End Cutting	9.0 Tonnes / Day	Sold to induction furnace units.
3.	Ash	13.6 Tonnes / Day	Sold to nearby bricks plant.

- जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- जल खपत एवं स्रोत –** परियोजना के अंतर्गत ऑपरेशनल फेसिलिटी हेतु 25 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 28 किलोलीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन, कुलिंग हेतु 15 किलोलीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 4 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल खपत में वृद्धि पल्वराईज्ड कोल से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु वॉटर स्प्रिंकलिंग करने के कारण होगा। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण –** घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनर्उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
  - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।
  - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
  - (स) ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 23,780 घनमीटर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 7 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना है। जिसमें से वर्तमान में 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है। शेष 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाएगा। प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
- 7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित फर्नेस ऑयल आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 37 मीटर ऊंची 2 नग चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंधन में परिवर्तन उपरांत चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है।
- 8. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – वर्तमान ईंधन एवं ईंधन परिवर्तन से उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.88 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित स्क्रबर के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किए जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.94 टन प्रतिवर्ष होगी। साथ ही SO<sub>2</sub> उत्सर्जन की मात्रा 320.76 टन प्रतिवर्ष से घटकर 108 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 12 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं ईंधन परिवर्तन के पश्चात् कुल 25.6 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार ईंधन परिवर्तन के पश्चात् (1) प्रतिवर्ष

उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मीटर एवं SO<sub>2</sub> उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

9. **वृक्षारोपण की स्थिति** – परियोजना अंतर्गत 3.3 एकड़ क्षेत्र में हरित पट्टिका का विकास किये जाने हेतु क्षेत्र आरक्षित है। वर्तमान में 2,600 नग वृक्षारोपण चारों ओर किया गया है। आगामी मानसून में कम से कम 700 नग और वृक्षारोपण करने हेतु निर्देशित किया गया।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 25	1%	Rs. 0.25	At Govt. high school, Tedesra District- Rajnandgaon following activities will be carried out: i. Implementation & maintenance of Rain Water Harvesting; ii. Implementation & maintenance of RO based drinking water facilities	As required

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-टेडेसरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1 एवं 74/2, कुल क्षेत्रफल – 10 एकड़ (4.04 हेक्टेयर) में स्थापित रोलिंग मिल क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष में ईंधन में पल्वराईज्ड कोल उपयोग किए जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई:–

1. रोलिंग मिल में फर्नेस ऑयल का उपयोग नहीं किया जाए।
2. पल्वराईज्ड कोल आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) स्थापित किया जाए। किसी भी उत्सर्जन स्रोत से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करना सुनिश्चित किया जाए।
3. कोल पल्वराईजर में बेग फिल्टर की स्थापना कर पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की की मात्रा 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करना सुनिश्चित किया जाए।
4. जनित राख को ईट निर्माण इकाइयों को उपलब्ध कराया जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रोलिंग मिल डिविजन युनिट-1) ग्राम-गोगांव, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 752)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/आईएनडी/ 29823/ 2018, दिनांक 14/11/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आधुनिकीकरण (Modification) के तहत ग्राम-गोगांव, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 130/1 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल – 13.78 हेक्टेयर (34.04 एकड़) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। आधुनिकीकरण (Modification)/क्षमता विस्तार हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 7 करोड़ होगा। प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

S.N.	Unit	Existing Plant	Proposed Modification/ Expansion	After Proposed Modification
1.	Mill - 1	1.5 LTPA	1.0 LTPA	2.5 LTPA
2.	Mill - 2	1.8 LTPA	0.7 LTPA	2.5 LTPA
3.	Coal Gasifier	8,000 NM <sup>3</sup> /hr 6 No.s. (4W+2SB)	–	8,000 NM <sup>3</sup> /hr 6 No.s. (4W+2SB)

**पूर्व बैठक का विवरण** – समिति की दिनांक 05/12/2018 को संपन्न 262वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि निम्नानुसार जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 07/12/2018 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए:-

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए तथा ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा अनुमोदित ले-आउट की प्रति प्रस्तुत करें। यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
- वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
5. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (क्षमता, संख्या एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत की जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**समिति द्वारा बैठक में विचार –** समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री एसआरडी नागार्जुन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:-

#### 1. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी गोगांव 350 मीटर एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन, सरस्वती नगर 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.0 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 5.8 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

#### 2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से स्ट्रक्चरल स्टील, एंगल्स, चैनल्स एण्ड बीम्स क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, हेवी स्ट्रक्चरल रोलिंग मिल क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर प्लाट क्षमता 32,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई हैं।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रॉ-मटेरियल –

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Expansion Quantity (TPA)	Mode of Transportation	Sources
Billets for Mill #1	1.635	2.725	By road (through trucks/trailors)	Induction Furnace division at champa & any shortfall will be purchased
Billets for Mill #2	1.962	2.725	By road (through trucks/trailors)	Induction Furnace division at champa & any shortfall will be purchased
Coal for all gasifier	0.643	0.643	By rail & road (through covered wagons/trucks)	SECL, C.G./ MCL Odisha

- वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है, जिसकी क्षमता 40 टन / घंटा है। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में नया री-हीटिंग फर्नेस स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। री-हीटिंग फर्नेस में ईंधन के रूप में कोल गैसीफायर से उत्पन्न प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत यही व्यवस्था अपनाई जाएगी। रोलिंग मिल की गति में वृद्धि कर क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोल गैसीफायर हेतु 0.643 मिलियन टन / वर्ष कोल की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार के तहत कोल की मात्रा में वृद्धि होना प्रस्तावित नहीं है।
- सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि कुल प्रदूषण भार की गणना ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रोलिंग मिल के री-हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रीक्यूप्रेटर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। क्षमता विस्तार के तहत यही व्यवस्था अपनाई जाएगी।



7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Rolling Mill #1			
Solid Waste Generated	Existing Scenario (TPA)	Proposed Scenario (TPA)	Disposal
End Cutting	9,000	6,000	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.
Mill Scales	3,000	2,000	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to melt in Furnaces
Miss Rolls	1,500	1,000	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.

Rolling Mill #2			
Solid Waste Generated	Existing Scenario (TPA)	Proposed Scenario (TPA)	Disposal
End Cutting	10,800	4,200	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.
Mill Scales	3,600	1,400	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to melt in Furnaces
Miss Rolls	1,800	700	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 11 कि.ली. प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होगी।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
  - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जाना है।
  - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

(स) भू-जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के ज्ञापन दिनांक 24/04/2018 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित है एवं आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तार उपरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 11 एम.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।
- 10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – वर्तमान में कुल 11,300 नग वृक्षारोपण किया गया है। कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
- 11. **बेस लाईन डाटा कलेक्शन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि ईआईए तैयार करने हेतु बेस लाईन डाटा कलेक्शन कार्य दिनांक 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

### 3. मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (वायर रॉड मिल डिविजन युनिट-2) ग्राम-गोगांव, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 753)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29825/ 2018, दिनांक 14/10/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आधुनिकीकरण (Modification) के तहत ग्राम-गोगांव, तहसील व जिला-रायपुर स्थित 130/4 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल – 6.14 हेक्टेयर (15.18 एकड़) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। आधुनिकीकरण (Modification) हेतु परियोजना का विनियोग रुपये 3 करोड़ होगा। प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

S.N.	Unit	Existing Plant	Proposed Modification	After Proposed Modification
1.	Mill - 1	1.8 LTPA	0.7 LTPA	2.5 LTPA
2.	Mill - 2	2.5 LTPA	-	2.5 LTPA
3.	Coal Gasifier	8,000 NM <sup>3</sup> /hr 3 No.s. (2W+1SB)	-	8,000 NM <sup>3</sup> /hr 3 No.s. (2W+1SB)

**पूर्व बैठक का विवरण** – समिति की दिनांक 05/12/2018 को संपन्न 262वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि निम्नानुसार जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 07/12/2018 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए तथा ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा अनुमोदित ले-आउट की प्रति प्रस्तुत करें। यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
5. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (क्षमता, संख्या एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत की जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ए.के. चतुर्वेदी, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री एसआरडी नागार्जुन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:-

1. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी गोगांव 350 मीटर एवं शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन, सरस्वती नगर 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.0 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 5.8 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से वॉयर रॉड मिल क्षमता 4,30,000 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर प्लाट क्षमता – 16,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं प्रोड्यूसर गैस प्लाट क्षमता – 16,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु जारी सम्मति शर्तों के पालन में की कार्यवाही की बिन्दुवार आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रॉ-मटेरियल –

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Modification Quantity (TPA)	Mode of Transportation	Sources
Billets for Mill #1	1.635	2.725	By road (through trucks/trailors)	Induction Furnace division at champa & any shortfall will be purchased
Billets for Mill #2	2.725	2.725	By road (through trucks/trailors)	Induction Furnace division at champa & any shortfall will be purchased
Coal for all gasifier (Indian)	0.634	0.634	By rail & road (through covered wagons/trucks)	SECL, C.G./ MCL Odisha

4. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है, जिसकी क्षमता 40 टन / घंटा है। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में नया री-हीटिंग फर्नेस स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। री-हीटिंग फर्नेस में ईंधन के रूप में कोल गैसीफायर से उत्पन्न प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत यही व्यवस्था अपनाई जाएगी। रोलिंग मिल की गति में वृद्धि कर क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोल गैसीफायर हेतु 0.643 मिलियन टन / वर्ष कोल की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार के तहत कोल की मात्रा में वृद्धि होना प्रस्तावित नहीं है।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि कुल प्रदूषण भार की गणना ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रोलिंग मिल के री-हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रीक्यूप्रेटर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। क्षमता विस्तार के तहत यही व्यवस्था अपनाई जाएगी।
7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

<b>Rolling Mill #1</b>			
<b>Solid Waste generated</b>	<b>Existing scenario</b>	<b>Proposed Scenario</b>	<b>Source</b>
End Cutting	10,800	4,200	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.
Mill Scales	3,600	1,400	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to melt in Furnaces
Miss Rolls	1,800	700	It will be sent to steel plant at Champa or may be sold in the market to re-rollers.

<b>Rolling Mill #2</b>			
End Cutting	15,000	-	It is sended to steel plant at Champa or sold in the market to re-rollers.
Mill Scales	5,000	-	It is sended to steel plant at Champa or sold in the market to melt in Furnaces
Miss Rolls	2,500	-	It is sended to steel plant at Champa or sold in the market to re-rollers..

## 8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 कि.ली. प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होगी।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
  - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
    - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जाना है।
    - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
    - (स) भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी के ज्ञापन दिनांक 24/04/2018 द्वारा अनुमति दी गई है।
  - **रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में 7 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित है एवं आधुनिकीकरण उपरांत रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
9. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 11 एम.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।
10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – वर्तमान में कुल 11,300 नग वृक्षारोपण किया गया है। कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
11. **बेस लाईन डाटा कलेक्शन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि ईआईए तैयार करने हेतु बेस लाईन डाटा कलेक्शन कार्य दिनांक 01 दिसंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सिटी मॉल विकास प्राइवेट लिमिटेड (मॉल कम होटल कॉम्प्लेक्स), ग्राम-मंगला, तहसील व जिला-बिलासपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 701)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 25163/ 2018, दिनांक 13/04/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-मंगला, तहसील व जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1002/1, 1007/2, 1008/1, 1003/2, 1002/2, 1008/2 एवं 1009 में मॉल कम होटल कॉम्प्लेक्स बिल्टअप क्षेत्रफल 47,513.87 वर्गमीटर (साईट क्षेत्रफल 20,340 वर्गमीटर) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 75 करोड़ होगा।

**पूर्व बैठक का विवरण** – समिति की दिनांक 05/12/2018 को संपन्न 262वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि निम्नानुसार जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 07/12/2018 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए तथा ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा अनुमोदित ले-आउट की प्रति प्रस्तुत करें।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले-आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (संख्या एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. दूषित जल हेतु उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. ले-आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए।
8. सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/12/2018 द्वारा सूचना दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2018 में चाही गई जानकारी/दस्तावेज एवं

अन्य समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**5. मेसर्स स्वर्ण कोल बेनिफिकेशन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बुदबुद एवं केराझरिया, तहसील-पाली, जिला-कोरबा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 645)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 20936/ 2017, दिनांक 08/11/2017। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/10/2018 (प्राप्ति दिनांक 15/11/2018) द्वारा टीओआर में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 533/4, 533/2, 648/4, 648/5, 648/14, 648/15, 648/16, 649/1 एवं 648/3, ग्राम-बुदबुद एवं केराझरिया, तहसील-पाली, जिला-कोरबा, कुल क्षेत्रफल 4.90 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के टीओआर में संशोधन करते हुए कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 975 लाख होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 838 दिनांक 19/01/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) वेट टाईप कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया था।

**पूर्व बैठक का विवरण** – समिति की दिनांक 05/12/2018 को संपन्न 262वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को जानकारियां/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 07/12/2018 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमर अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री एस.आर.डी. नागार्जुन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:-

परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में जारी टीओआर अनुसार अतिरिक्त भूमि क्रय किया जाना संभव नहीं हो रहा है। फलस्वरूप कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष के टीओआर में संशोधन करते हुए कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी टीओआर में कोल वॉशरी 0.92 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिये परिसर के चारों तरफ कम से कम 15 मीटर हरित पट्टिका विकसित करने के दृष्टिकोण से 15 एकड़ भूमि क्रय करने हेतु शर्त निर्धारित की गई थी। वर्तमान में 10.38 एकड़ भूमि में कोल वॉशरी 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि



परिसर के चारों तरफ कम से कम 15 मीटर हरित पट्टिका विकसित करने तथा कोल वॉशरी के अन्य कार्यकलापों हेतु 10.38 एकड़ भूमि पर्याप्त है।

उपरोक्त तथ्य के आधार पर परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जारी टीओआर में क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष संशोधन किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:-

1. At-least 10.38 acres land shall be acquired for coal washery. Accordingly layout shall be amended earmarking at least 15 meter wide green belt all around the project site.
2. अतिरिक्त टीओआर के शेष बिन्दु यथावत रहेगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

### एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स ए.सी. स्ट्रीप्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-अछोली, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 744)

**ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 81913/2018, दिनांक 09/10/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम-अछोली, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 31बी, 32, 33, 34 एवं 35, सेक्टर-सी, कुल क्षेत्रफल - 0.81 हेक्टेयर में बिलेट्स री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,900 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रूपए 493.03 लाख होगा।

**पूर्व बैठक का विवरण** - समिति की दिनांक 28/10/2018 को संपन्न 261वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि निम्नानुसार जानकारियां/दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए। भूमि सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्र की है अथवा नहीं, स्पष्ट किया जाए। यदि भूमि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु सीएसआईडीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर

चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
5. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (क्षमता, संख्या एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया में होने के कारण क्षमता विस्तार हेतु अभिमत प्राप्त किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2018 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति की दिनांक 05/12/2018 को संपन्न 262वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती / अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/12/2018 द्वारा आगामी बैठक दिनांक 06/12/2018 एवं 07/12/2018 में समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 07/12/2018 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा अनुरोध पत्र के आधार पर दिनांक 07/12/2018 को प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया एवं दूरभाष से सूचित किया गया।

**समिति द्वारा बैठक में विचार –** समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जय प्रकाश झुनझुनवाला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:—

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोलिंग मिल 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2019 तक की अवधि हेतु वैध है।
- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ शहर रायपुर 5 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 20 कि.मी., रेलवे स्टेशन रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 5 कि.मी. की दूरी पर है।
- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** बिल्टअप का क्षेत्रफल 0.251 हेक्टेयर, रोड एव पेव्ड क्षेत्र 0.154 हेक्टेयर, रॉ-मटेरियल / फिनिश स्टॉक का क्षेत्रफल 0.235 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 0.17 हेक्टेयर (21 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 0.81 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

4. **रॉ-मटेरियल –** रोलिंग मिल में रॉ-मटेरियल के रूप में एम.एस. बिलेट्स – 62,895 टन प्रतिवर्ष एवं कोल– 5,391 टन प्रतिवर्ष का उपयोग कर रोलड प्रोडक्स का उत्पादन किया जाएगा। रॉ-मटेरियल्स का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- वर्तमान में बिलेट री-हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल क्षमता 10 टन प्रतिघंटा स्थापित एवं कार्यरत है। क्षमता विस्तार के तहत अतिरिक्त बिलेट री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जाएगी। क्षमता विस्तार उपरांत अर्थात् री-रोलड स्टील प्रोडक्ट्स-59,900 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन करने हेतु स्थापित बिलेट री-हीटिंग फर्नेस के कार्य समय में वृद्धि (01 शिफ्ट से बढ़ाकर 03 शिफ्ट) किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में गैसीफायर में कोयला 150 कि.ग्रा. प्रतिटन (कुल 4,500 टन प्रतिवर्ष) की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार के पश्चात् गैसीफायर में कोयला 90 कि.ग्रा. प्रतिटन (कुल 5,391 टन प्रतिवर्ष) की आवश्यकता होगी। गैसीफायर में आधुनिकीकरण, high temperature waste heat recuperator की स्थापना एवं combustion gas analyzer की स्थापना कर प्रतिटन उपयोग किये जाने वाले कोयले की मात्रा में कमी किया जाना बताया गया है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं 32 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था

से वर्तमान में पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च क्षमता का वेट स्क्रबर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार के तहत चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – स्थापित परियोजना से मिल स्केल – 1,500 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल / इण्ड कटिंग – 1,500 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 1,125 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 1,797 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल / इण्ड कटिंग – 1,797 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 1,348 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉयज निर्माण इकाईयों को विक्रय जाएगा। मिस रोल को इण्डक्शन फर्नेश इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईट निर्माण इकाईयों को दिया जाएगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 17 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 33 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी से की जागी। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जागी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाएगा। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,786 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर्स निर्मित किया जाएगा। वर्तमान में 1 नग रिचार्ज वेल (1 मी व्यास एवं 3 मी. गहराई) स्थापित है एवं क्षमता विस्तार के तहत 2 नग रिचार्ज वेल एवं 1 नग नलकूप रिचार्ज स्ट्रक्चर (2 मी. लम्बाई गुणा 1 मी. चौड़ाई गुणा 2 मी. गहराई) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन

वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.35 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित उच्च क्षमता का एस.एस. वेट स्क्रबर एवं चिमनी से वर्तमान में पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 1.69 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से 4,125 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् 4,942 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मीटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।
10. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 9100 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एकोस्टिकली प्रुफ इंकलोजर में स्थापित करना प्रस्तावित है।
11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – वर्तमान में हरित पट्टिका क्षेत्रफल 0.17 हेक्टेयर (21 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह उद्योग काफी पुराना है तथा वर्तमान में क्षमता विस्तार में कोई अतिरिक्त शेड बनाना/ नया निर्माण प्रस्तावित नहीं है। आवेदक द्वारा वर्तमान में निर्मित क्षेत्र को तोड़कर अतिरिक्त 0.003 हेक्टेयर हरित पट्टी का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। उद्योग के परिसर में अतिरिक्त वृक्षारोपण की संभावना नहीं है। अतएव कुल 33 प्रतिशत में से शेष 0.097 हेक्टेयर (12 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.194 हेक्टेयर (24 प्रतिशत) का कार्य अटल नगर विकास प्राधिकरण के को-ऑर्डिनेशन से प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 45	1%	Rs. 0.45	Following facilities in identified school:- i. Rain Water Harvesting ii. Water arrangement for Sanitation. iii. RO water purifier installation for drinking water. at nearby identified Govt. school premises.	Rs. 2.00
			<b>Total</b>	<b>Rs. 2.00</b>

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण “उद्योग की स्थापना से आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण भार बढ़ने अथवा न बढ़ने के संबंध में” छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

## 2. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 726)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 5146/ 2015, दिनांक 07/07/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत आवेदन में कमियां होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 16/07/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54, कुल क्षेत्रफल – 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), ग्राम-सोण्ड्रा, तहसील व जिला-रायपुर में माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता-2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट (श्रू ऑनलाईन हॉट चार्जिंग)-1,90,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 47.75 करोड़ प्रस्तावित है।

## टीओआर संबंधी जानकारी:-

- एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 91 दिनांक 13/04/2016 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी-1 कटेगरी का होने के कारण स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/07/2018 को फाईनल ईआईए रिपोर्ट, Prior Environment Clearance हेतु जारी फॉर्म-2 की प्रति के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी टीओआर के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**लोक सुनवाई संबंधी जानकारी:-** लोक सुनवाई दिनांक 19/05/2018 को प्रातः 12:00 बजे, स्थान परियोजना स्थल, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीएसआईडीसी फेज-2, रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 02/07/2018 द्वारा प्रेषित किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/09/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

**पूर्व बैठक का विवरण –** समिति की दिनांक 04/10/2018 को संपन्न 256वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बांके बिहारी अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एनॉकान लेवोर्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री श्रीकांत बी. व्यवहारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

### 1. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- रायपुर शहर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन रायपुर 13 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 3.0 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.15 कि.मी. की दूरी पर है।
  - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** कुल बिल्टअप क्षेत्रफल 3.66 एकड़, प्रस्तावित सब स्टेशन हेतु 0.599 एकड़, खुला क्षेत्रफल – 1.24 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 2.94 एकड़ होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल – 8.44 एकड़ है।

### 3. रॉ-मटेरियल –

<b>Steel Melting Shop to produce 2,00,000 MT Hot Billet</b>		
<b>Raw Material</b>	<b>Total Quantity Required (TPA)</b>	<b>Mode of Transportation</b>
Sponge Iron	2,10,526	By road through trucks
Cl / Pig Iron Heavy Scrap	30,000	By road through trucks

Ferro Alloys	2,000	By road through trucks
Carbon Blocks	5,000	By road through trucks
<b>Re-rolling Mill to produce 1,90,000 MT Rerolled product</b>		
Hot Billet	2,00,000	Internal movement by/ conveyor crane

4. प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.N.	Process Plant	Capacity of the Plant	Proposed Product	Annual Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace to Produce M.S. Billet	12 MT x 4 Nos.	Mild Steel Billets	2,00,000
2.	Re-rolling Mills	Direct Hot Charging facility with CCM Capacity about 600 TPD	Rerolled Steel product like; TMT, Wire rod	1,90,000
3.	LRF	15 Ton x 1 No.	For Steel refining	2,00,000

5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 48 मीटर ऊंची चिमनी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 35 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

6. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकलाप से मिस रोल/मिल स्केल – 10,000 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 20,000 टन प्रतिवर्ष एवं री-फेक्ट्री वेस्ट एण्ड लिनिंग मटेरियल – 1,000 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिस रोल को री-मेल्टिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। मिल स्केल फेरो एलॉयज निर्माण इकाईयों को विक्रय जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। रीफेक्ट्री वेस्ट एण्ड लिनिंग को रीफेक्ट्री इकाईयों को रिसायक्लिंग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

7. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – परियोजना हेतु 95 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 05 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 05 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक हेतु 85 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से 990 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु अनुमति दिनांक 08/01/2018 द्वारा प्राप्त किया गया है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण – घरेलु दूषित जल की मात्रा 04 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कूलिंग



उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
  - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।
  - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 30,112 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज वेल (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 5 नग नलकूप रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर X चौड़ाई 4 मीटर X गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाएगा। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
- 8. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 23.86 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1750 कै.व्ही.ए. क्षमता का 02 नग डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- 9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परिसर के चारों ओर कम से कम 06 मीटर हरित पट्टी के विकास हेतु लगभग 1.19 हेक्टेयर (34.79 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,380 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।
- 10. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** –
  - मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2016 से मई 2016 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 08 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
  - मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>2.5</sub> 15 से 34 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.<sub>10</sub> 41 से 79 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ<sub>2</sub> 08 से 23 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ<sub>एक्स</sub> 09 से 28 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर दिन में 42 डीबीए से 71 डीबीए एवं रात्रि में 38 डीबीए से 65 डीबीए पाया गया।
  - परिवेशीय ध्वनि स्तर को कम करने हेतु प्रस्तावित इकाईयों को शेड से कवर्ड करना, एकास्टिकली इन्क्लोस्ड डीजी सेट की स्थापना, परिसर के चारों ओर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण किये जाने से ग्राम-सोण्ड्रा

में परिवेशीय ध्वनि स्तर दिन में 28.73 डीबीए एवं रात्रि में 38.73 डीबीए होना संभावित है।

11. जनसुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा प्रस्तावित उद्योग के स्थापित होने की सराहना करते हुये स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दिये जाने बाबत् मांग की गई। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिये जाने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 4,775	2%	Rs. 95.50	Drinking water arrangement, Solar system and drainage system at nearby villages	40.00
			Medical facilities like: Ambulance, infrastructure development in Govt. hospitals & facilities of Pathology lab equipments	50.00
			Green belt plantation at Atal Nagar in co-ordination with ANVP	10.00
			<b>Total</b>	<b>100.00</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/10/2018 के परिपेक्ष्य में मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/12/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

“उद्योग के प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट अनुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता में नगण्य प्रभाव पड़ने की संभावना है।”

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:-

1. स्थल ग्राम-सोण्ड्रा में स्थित है एवं आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा इकाई की स्थापना से प्रदूषण में प्रभावी वृद्धि की संभावना नहीं बताई गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा क्रमांक 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54, कुल क्षेत्रफल 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), ग्राम-सोण्ड्रा, तहसील व जिला-रायपुर में माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता-2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू ऑनलाईन हॉट चार्जिंग)-1,90,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स वंदना रोलिंग मिल्स लिमिटेड, सेक्टर-ए, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/75984/ 2018, दिनांक 28/07/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत प्लॉट क्रमांक 56/बी, 57/बी, 58, 59, 61, 62 एवं 63, कुल क्षेत्रफल – 1.43 हेक्टेयर, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला-रायपुर में माईल्ड स्टील इंगाट्स/बिलेट्स क्षमता-47,369 टन प्रतिवर्ष, री-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता-57,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता-45,000 टन प्रतिवर्ष एवं स्थापित री-हीटिंग फर्नेस आधारित री-रोलिंग मिल क्षमता-29,000 टन प्रतिवर्ष को कम कर 12,000 टन प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 18.21 करोड़ होगा।

**पूर्व बैठक का विवरण** – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 254वीं बैठक दिनांक 31/08/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाए।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. आवश्यक रॉ-मटेरियल एवं उत्पाद की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत इण्डक्शन फर्नेस हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
7. सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
8. ले-आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए।
9. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/09/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 256वीं बैठक दिनांक 04/10/2018 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप जैन एवं श्री सुभाष अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/09/2018 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।
2. **जल एवं वायु सम्मति –**
  - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 13/07/2017 के द्वारा दिनांक 31/05/2022 तक की अवधि के लिये एम.एस. राउण्ड एण्ड टीएमटी बार, सीटीडी एण्ड रिब्ड बार, एमएस एंगल, चेनल्स, ज्वाईस्ट, बिम्स, प्लेट क्षमता – 29,000 मीट्रिक टन / वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।
  - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अनुसार प्लाट सीएसआईडीसी द्वारा प्रदत्त किया गया है।
4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
  - समीपस्थ शहर रायपुर 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 05 कि.मी. की दूरी पर है।
  - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** बिल्टअप का क्षेत्रफल – 0.31 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल – 0.08 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल – 0.57 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 0.47 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल – 1.43 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
6. **रॉ-मटेरियल –**

<b>Raw Material Requirement</b>		
<b>Name of Raw Material</b>	<b>Existing (TPA)</b>	<b>Proposed (TPA)</b>
<b>Induction Furnace</b>		
Sponge Iron	--	45,854

Cl/Pig Iron Heavy Scrap	--	9,563
Ferro Alloys & Alm.	--	319
Ramming Mass and Refractory lining	--	95
<b>Sub Total</b>	--	<b>55,831</b>
<b>Billet Reheating Furnace based Rolling Mill</b>		
Hot Metal/Billet/Ingot	30,450	12,600
Pulverised Coal	4,350	1,800
<b>Sub Total</b>	<b>34,800</b>	<b>14,400</b>

वर्तमान में रॉ-मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

SNo.	Product	Existing		Proposed	
		Facilities and Product	Capacity	Facilities and Product	Capacity
1.	MS Ingot / Billet	-	-	08 MT X 3 Nos. Induction Furnaces	47,369 TPA
2.	Steel Rerolled Product	-	-	Hot Charging Rolling Mill (By converting existing Pulverised coal Rerolling Mill of capacity 17,000 TPA)	45,000 TPA
		Two Reheating Furnaces based on Pulverised coal Rerolling Mill (12,000 TPA + 17,000 TPA)	29,000 TPA	Reheating Furnaces based on Pulverised coal Rerolling Mill (12,000 TPA) & discontinue of capacity	12,000 TPA

			17,000 TPA	
	<b>Total Rerolled Steel Production</b>	<b>29,000 TPA</b>		<b>57,000 TPA</b>

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में 02 नग बिलेट रि-हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से वर्तमान में पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पयुजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।
9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में बिलेट री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से मिल स्केल – 870 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल – 870 टन प्रतिवर्ष एवं कोल एश – 1,522.5 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् मिल स्केल – 1,140 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 6,587 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल – 1,140 टन प्रतिवर्ष, इण्ड कटिंग ऑफ बिलेट्स – 948 टन प्रतिवर्ष, मिस कास्ट – 948 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री वेस्ट – 48 टन प्रतिवर्ष एवं कोल एश – 630 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। मिस रोल स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में पुर्नउपयोग/विक्रय किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। मिस कास्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाएगा। इण्ड कटिंग को आशिक रूप से स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में उपयोग एवं शेष को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। रिफेक्ट्री वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा। कोल एश को समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को विक्रय किया जाएगा। वर्तमान में रोलिंग मिल से जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –
- **जल खपत एवं स्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 16.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 14.5 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत परियोजना हेतु कुल 34 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 05 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 29 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था

अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 03 घनमीटर प्रतिदिन है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
    - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है।
    - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
  - **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 9,093 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 1 नग रिचार्ज पिट (लम्बाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाएगा। इसके साथ ही भारी वर्षा के दिनों में वर्षा के जल के संचयन हेतु 60 किलो लीटर क्षमता का 01 नग रेन वॉटर कलेक्शन टैंक बनाया जाएगा।
11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.61 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित इंडक्शन फर्नेस में बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर तथा बिलेट रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वेट स्क्रबर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.11 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 3,262.5 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् कुल 11,441 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।
12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 06 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।
13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु वर्तमान में 0.21 हेक्टेयर क्षेत्र में 90 नग पौधे रोपित जीवित है एवं 0.47 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।



14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 1650	1%	Rs. 16.50	Solar Lighting System, Rain Water Harvesting, Water Supply for Toilets and R.O. for Drinking Water and Plantation, Awareness on Environment Education in nearby identified schools	12.50
			Plantation at Atal Nagar in co-ordination with ANVP	4.00
			<b>Total</b>	<b>16.50</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/09/2018 के परिपेक्ष्य में मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत ज्ञापन दिनांक 24/11/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

“उद्योग द्वारा प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।”

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया कि क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 17/06/2016 के द्वारा एम.एस. राउण्ड एण्ड टीएमटी बार, सीटीडी एण्ड रिब्ड बार, एमएस एंगल, चैनल्स, ज्वाईस्ट, बिस्स, फ्लेट क्षमता – 29,000 मीट्रिक टन / वर्ष हेतु जारी जल एवं वायु सम्मतियों का नवीनीकरण दिनांक 31/05/2022 तक की अवधि के लिये पत्र दिनांक 13/07/2017 के द्वारा किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जारी सम्मति के अनुसार 21,000

मीट्रिक टन / वर्ष रोल्ड उत्पादों का उत्पादन कोल आधारित ईंधन से किया जाना है तथा शेष 8,000 मीट्रिक टन / वर्ष रोल्ड उत्पादों का उत्पादन फर्नेस ऑयल आधारित ईंधन से किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषणभार की गणना 29,000 मीट्रिक टन / वर्ष रोल्ड उत्पादों का उत्पादन कोल आधारित ईंधन से किये जाने के आधार पर किया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उद्योग को स्थापित कार्यकलाप हेतु जारी सम्मति में उल्लेखित ईंधन एवं उत्पादन के आधार पर तथा प्रस्तावित कार्यकलापों उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषणभार की संशोधित गणना (वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**4. मेसर्स शिवाली उद्योग (आई) लिमिटेड, प्लॉट नं. 03 एवं 04, उरला इण्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 740)**

**ऑनलाईन आवेदन-** प्रोजेक्ट नम्बर- एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 79561/ 2018, दिनांक 20/09/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक्टर-डी, प्लॉट नं. 03 एवं 04, उरला औद्योगिक काम्प्लेक्स, ग्राम-सरौरा, तहसील व जिला-रायपुर, क्षेत्रफल - 3.43 हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल - 8.48 एकड़) में स्थापित रोलिंग मिल क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष में प्रतिगामी संयोजन (Backward Integration) के तहत प्रस्तावित माईल्ड स्टील बिलेट्स (थ्रु इंडक्शन फर्नेस एलांग सीसीएम) क्षमता-57,600 टन प्रतिवर्ष एवं री-रोल्ड प्रोडक्ट (डॉरेक्ट हॉट चार्जिंग विथ सीसीएम आधारित री-रोलिंग मिल क्षमता - 46,000 टन प्रतिवर्ष एवं बिलेट् री-हीटिंग फर्नेस आधारित री-रोलिंग मिल क्षमता-54,000 टन प्रतिवर्ष) क्षमता - 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 18.20 करोड़ प्रस्तावित है।

**पूर्व बैठक का विवरण** - एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दिनांक 05/10/2018 को संपन्न 257वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सुभाष अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में रोलिंग मिल क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि इकाई का उत्पादन दिनांक 22/04/2004 से आरम्भ किया गया था। तत्समय रोलिंग मिल हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।
3. **जल एवं वायु सम्मति -**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से रोलिंग मिल क्षमता—1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 18/06/2014 को जारी की गई है। जिसकी वैधता 31/03/2019 तक है।
  - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
4. लीज डीड संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।
5. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
- समीपस्थ शहर रायपुर 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 05 कि.मी. की दूरी पर है।
  - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –** बिल्टअप का क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 0.56 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.14 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल – 3.43 हेक्टेयर है। क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. **रॉ-मटेरियल –** इंडक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 57,456 टन प्रतिवर्ष, पिग ऑयरन/स्क्रैप – 9,072 टन प्रतिवर्ष, फेरो एलॉयज – 605 टन प्रतिवर्ष एवं रमिंग मास तथा रिफेक्ट्री लाईनिंग – 90 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। रोलिंग मिल में रॉ-मटेरियल के रूप में हॉट मेटल हेतु—48,960 टन प्रतिवर्ष, बिलेट्स (स्वयं के इंडक्शन फर्नेस से) – 8,640 टन प्रतिवर्ष, बिलेट्स (बाजार से क्रयकर) – 48,783 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर आधारित री-हीटिंग फर्नेस हेतु कोल – 8,100 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में रॉ-मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए वाहनों द्वारा किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।
8. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. N.	Product	Existing		Proposed	
		Facilities and Product	Capacity	Facilities and Product	Capacity
1.	MS Ingot/Billet	Induction Furnaces and CCM	-	12 MT X 02 Nos. Induction Furnaces	57,600 TPA

2.	Steel Rerolled Product	Rerolling Mill	1,00,000 TPA Through Reheating Furnace based on coal gasifier	Rolling Mill	1,00,000 TPA (Out of which 46,000 TPA (through Hot Charging and 54,000 TPA from existing Rerolling Mill furnace)
----	------------------------	----------------	---	--------------	--

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में बिलेट री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वॉटर सील एण्ड सॉयक्लोन डस्ट सेपरेटर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।
10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस/रोलिंग मिल से मिल स्केल – 3,850 टन प्रतिवर्ष, स्लेग – 5,750 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल – 3,850 टन प्रतिवर्ष, डिफेक्टिव बिलेट्स/रनर राईजर– 2,880 टन प्रतिवर्ष, रिफेक्ट्री वेस्ट – 45 टन प्रतिवर्ष एवं कोल ऐश – 1,725 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलॉय/पेलेट इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी युनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। डिफेक्टिव बिलेट्स/रनर राईजर को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में आंशिक उपयोग एवं शेष को फेरो एलॉय इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। रिफेक्ट्री वेस्ट को अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा। मिस रोल को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में उपयोग/विक्रय किया जाएगा। कोल ऐश को समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में रोलिंग मिल से जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –
- **जल खपत एवं स्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 53 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 05 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 48 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 81 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 07 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 74 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु

उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 04 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7.82 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 3.79 टन प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 13,750 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 18,100 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।
13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 26,510 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 1 नग रिचार्ज पिट (लम्बाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाएगा। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
14. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 8.74 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.14 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 1500	1%	Rs. 15.00	Rain Water Harvesting, Water Arrangement for Toilet and R.O. for drinking water and plantation in nearby identified schools premises.	10.00
			Green belt plantation at Atal Nagar in co-ordination with NRDA	5.00
			<b>Total</b>	<b>15.00</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से प्रस्तावित कार्यकलाप के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/10/2018 के परिपेक्ष्य में मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:—

“उद्योग द्वारा प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता में नगण्य प्रभाव पड़ने की संभावना है।”

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:—

1. उद्योग में प्रस्तावित प्रतिगामी संयोजन (Backward Integration) हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
2. स्थल उरला औद्योगिक काम्प्लेक्स, ग्राम-सरोरा में स्थित है एवं आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

3. क्षमता विस्तार से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी तथा जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होने से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।
4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा इकाई की स्थापना से प्रदूषण में प्रभावी वृद्धि की संभावना नहीं बताई गई है।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु बी1' अथवा 'बी2' कटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए हैं:—

“Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates.”

6. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

अतः उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 के अनुरूप, उद्योग स्थल औद्योगिक में होने के आधार पर “बी2” श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क्षमता विस्तार हेतु ईआईए रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से सेक्टर-डी, प्लॉट नं. 03 एवं 04, उरला औद्योगिक काम्प्लेक्स, ग्राम-सरौरा, तहसील व जिला-रायपुर, क्षेत्रफल – 3.43 हेक्टेयर (कुल एरिया 8.48 एकड़) में स्थापित रोलिंग मिल क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष में प्रतिगामी संयोजन (Backward Integration) के तहत प्रस्तावित माईल्ड स्टील बिलेट्स (थ्रु इंडक्शन फर्नेस एलांग सीसीएम) क्षमता-57,600 टन प्रतिवर्ष एवं री-रोल्ड प्रोडक्ट (डॉरेक्ट हॉट चार्जिंग विथ सीसीएम आधारित री-रोलिंग मिल क्षमता – 46,000 टन प्रतिवर्ष एवं बिलेट् री-हीटिंग फर्नेस आधारित री-रोलिंग मिल क्षमता-54,000 टन प्रतिवर्ष) क्षमता – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, फेस-01, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 596)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/टीएचई/19333/2017, दिनांक 11/08/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत फेस-01, सिलतरा औद्योगिक ग्रोथ सेंटर, तहसील व जिला-रायपुर, कुल भूमि 67.96 हेक्टेयर (167.94 एकड़) में केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता – 81.5 मेगावाट से 98.7 मेगावाट

(टरबाईन क्रमांक – 02 एवं 03 के स्थान पर भेल निर्मित नई उच्च क्षमता एवं दक्षता की टरबाईन लगाये जाने), इण्डक्शन फर्नेस – 3,20,000 टन प्रतिवर्ष से 5,45,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल – 1,80,000 टन प्रतिवर्ष से 3,80,000 टन प्रतिवर्ष, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस (एलआरएफ) – 40 टन से 70 टन एवं कंटिन्युअस कास्टिंग मिल (सीसीएम) – 3,60,000 टन प्रतिवर्ष से 6,00,000 टन प्रतिवर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। कोल गैसीफायर में क्षमता विस्तार प्रस्तावित नहीं है। क्षमता विस्तार के तहत परियोजना का विनियोग रुपये 182.73 करोड़ प्रस्तावित है।

**टीओआर संबंधी विवरण:-** एस.ई.ए.सी.त्र., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 604 दिनांक 30/10/2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी-1 केटेगरी का होने के कारण स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 11/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

**पूर्व बैठक का विवरण –** एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दिनांक 30/08/2018 को संपन्न 253वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पी. एस. दत्ता गुप्ता, हेड, कॉरपोरेट अफेयर एव डॉ. एस.सी. जैन, सिनियर डॉयरेक्टर उपस्थित हुये। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28/09/2007 द्वारा स्पंज आयरन क्षमता – 4,60,000 टन प्रतिवर्ष से 6,10,000 टन प्रतिवर्ष (एम.एस. इंगाट्स / बिलेट्स क्षमता – 2,00,000 टन प्रतिवर्ष से 3,60,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल क्षमता – 1,80,000 टन प्रतिवर्ष एवं पिग आयरन क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष) तथा पावर जनरेशन 40 मेगावाट (एफबीसी बॉयलर 20 मेगावाट एवं डब्ल्युएचआरबी 20 मेगावाट) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, नागपुर से दिनांक 02/06/2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का पालन आंशिक अथवा नहीं करना बताया गया था।
3. परियोजना प्रस्तावक का शर्तों के पालन आंशिक अथवा नहीं करने के संबंध में अद्यतन जानकारी / प्रस्ताव प्रस्तुत की गई है।
4. पूर्व में जारी टीओआर के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. **जल एवं वायु सम्मति –**
  - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से कोल आधारित केप्टिव थर्मल पावर प्लांट क्षमता 20 मेगावाट हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जो दिनांक 31/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध है।



- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से कोल एवं वेस्ट हीट रिकव्हरी आधारित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता – 61.5 मेगावॉट हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जो दिनांक 31/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध है।
  - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से इण्डक्शन फर्नेश द्वारा एम. एस. इंगाट्स / बिलेट्स क्षमता – 1,60,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता 15,600 सामान्य घनमीटर हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जो दिनांक 30/11/2020 तक की अवधि हेतु वैध है।
  - उपरोक्त जारी सभी जल एवं वायु सम्मति में उल्लेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
- समीपस्थ आबादी ग्राम–सिलतरा 0.5 कि.मी. एवं रायपुर शहर 15 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 25 कि.मी., रेल्वे स्टेशन मांढर 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.0 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी 6.0 कि.मी., छोकरा नाला 4.0 कि.मी., कुल्हन नाला 5.0 कि.मी., मांढर के निकट जलाशय 1.0 कि.मी. एवं सिलतरा के निकट जलाशय 0.5 कि.मी. की दूरी पर है।
  - 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
7. स्थापित पॉवर प्लांट में 03 नग टरबाईन स्थापित हैं। वर्तमान में इन टरबाईंस से पॉवर जनरेशन हेतु 4.84 टन प्रति मेगावॉट स्टीम (90 कि.ग्रा./से.मी.<sup>2</sup> दबाव एवं 520<sup>0</sup>C तापमान पर) की आवश्यकता होती है। पुराने सेकण्ड हैंड टरबाईन क्रमांक – 02 एवं 03 के स्थान पर भेल निर्मित नई उच्च क्षमता एवं दक्षता की टरबाईन लगाये जाने तथा युनिट-2 के एक कंडेन्सर को बदला जाना प्रस्तावित है। इस आधुनिकीकरण के उपरांत पॉवर जनरेशन में स्टीम खपत 4.84 टन प्रति मेगावॉट के स्थान पर से 3.82 टन प्रति मेगावॉट होने से वर्तमान में स्थापित बॉयलर्स से (ईंधन की मात्रा / प्रकार में परिवर्तन किये बिना) उत्पन्न कुल स्टीम से 17.2 मेगावॉट अतिरिक्त मेगावॉट पावर जनरेशन संभव हो सकेगा। इस प्रकार बॉयलरो से उत्पन्न कुल स्टीम की मात्रा 394.4 टन प्रतिघंटा है। पावर प्लांट में क्षमता विस्तार के तहत ईंधन की मात्रा में कोई वृद्धि तथा ईंधन के प्रकार में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
8. विभिन्न पॉवर प्लांट इकाईयों की स्थापना से वर्तमान तक स्थापित बॉयलरों की संख्या 07 नग (03 X 90 Ton FBC & 02 X 09 Ton, 02 X 53.2 Ton WHRB) है।
9. **रॉ-मटेरियल –**
- वर्तमान में स्थापित पॉवर प्लांट में प्रयुक्त कोयला– 4,11,600 टन प्रतिवर्ष एवं चार/डोलोचार– 74,400 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में 4 गुणा 15 टन इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 3,32,800 टन प्रतिवर्ष, पिग आयरन – 16,000 टन प्रतिवर्ष, स्क्रेप – 17,600 टन प्रतिवर्ष

एवं सिलिको मैग्नीज – 43,200 टन प्रतिवर्ष (इस प्रकार कुल रॉ मटेरियल 4,09,600 टन प्रतिवर्ष) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित 4 गुणा 15 टन इण्डक्शन फर्नेस में रॉ-मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 1,25,813 टन प्रतिवर्ष, पिग आयरन – 25,163 टन प्रतिवर्ष, स्क्रैप – 1,00,650 टन प्रतिवर्ष एवं सिलिको मैग्नीज – 3,375 टन प्रतिवर्ष (इस प्रकार कुल रॉ मटेरियल 2,55,000 टन प्रतिवर्ष) का उपयोग किया जाएगा।

- वर्तमान में क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष के रोलिंग मिल में रॉ-मटेरियल के रूप में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स – 1,87,200 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफॉयर हेतु कोल – 32,400 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार में क्षमता 2,00,000 टन प्रतिवर्ष के रोलिंग मिल में रॉ-मटेरियल के रूप में स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स – 2,07,684 टन प्रतिवर्ष का उपयोग किया जाएगा। रॉ-मटेरियल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जाएगा।
10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्थापित एवं टरबाईन बदलने के उपरांत पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 04 नग इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, 02 नग बेग फिल्टर एवं डस्ट सप्रेसन के लिये वॉटर स्प्रीकलिंग एवं ड्राई फागिंग सिस्टम तथा 02 नग प्रत्येक 90 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईकलोन विथ वेट स्क्रबर एवं 02 नग प्रत्येक 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत इण्डक्शन फर्नेस में भी उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाएगी। स्थापित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट कलेक्शन सिस्टम के तहत साईकलोन विथ हीट रिक्युपरेटर एवं 54 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में भी उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाएगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण है।
11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – स्थापित पॉवर प्लांट से फलाई ऐश 1,72,200 टन प्रतिवर्ष एवं बेड ऐश 43,050 टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है। उत्पन्न फलाई ऐश को स्वयं के ईट निर्माण/टाइल्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट में उपयोग एवं शेष को सीमेंट प्लांट को विक्रय किया जाता है। बेड ऐश को स्वयं के ईट निर्माण/टाइल्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट में उपयोग किया जाता है। पावर प्लांट में क्षमता विस्तार के तहत ईंधन के उपयोग में कोई वृद्धि नहीं होने से इससे उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा पूर्व अनुसार ही रहेगी। वर्तमान में स्टील प्लांट से स्लेग – 41,600 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग स्क्रैप – 2,898 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। स्लेग को स्वयं के ईट निर्माण /टाइल्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट में उपयोग किया जाता है। एण्ड कटिंग स्क्रैप को पुनः इण्डक्शन फर्नेस में उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफॉयर से ऐश 463 टन प्रतिवर्ष, सिण्डर 4,165 टन प्रतिवर्ष एवं टॉर 162 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ऐश/सिण्डर का उपयोग भू-भरण एवं ईट निर्माण में किया जाता है। कोल गैसीफॉयर से उत्पन्न टॉर को अधिकृत क्रेताओं को विक्रय किया जाता है। क्षमता विस्तार के अंतर्गत स्टील प्लांट से स्लेग – 28,845 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग स्क्रैप – 2,898 टन प्रतिवर्ष, मिस रोल – 415 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 2,898 टन प्रतिवर्ष तथा हॉट आउट – 1,449 प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। स्लेग को स्वयं के ईट निर्माण/टाइल्स मेन्युफेक्चरिंग प्लांट में उपयोग किया जाएगा। एण्ड कटिंग स्क्रैप एवं अन्य को

पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग किया जाएगा। कोल गैसीफ़ायर में क्षमता विस्तार नहीं किया जा रहा है। अतः इससे उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा पूर्व अनुसार रहेगी।

## 12. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में 81.5 मेगावॉट क्षमता के पॉवर प्लांट में कुलिंग हेतु 7,345 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर फीड 391 घनमीटर प्रतिदिन, डीएम यूनिट एवं सॉफ्टनर 108 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण एवं डस्ट सप्रेसन हेतु 218 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 85 घनमीटर प्रतिदिन (कुल 8,147 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। टरबाईन बदलने के उपरांत अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में स्टील प्लांट डिवीजन में कुलिंग हेतु घनमीटर प्रतिदिन, स्लेग क्वेचिंग 45 किलो लीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 12 किलो लीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण एवं डस्ट सप्रेसन हेतु 08 घनमीटर प्रतिदिन (कुल घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। क्षमता विस्तार के तहत स्टील प्लांट डिवीजन में कुलिंग हेतु घनमीटर प्रतिदिन, स्लेग क्वेचिंग 20 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 17 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण एवं डस्ट सप्रेसन हेतु घनमीटर प्रतिदिन (कुल 372 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। आवश्यक जल की आपूर्ति खारुन नदी से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में 81.5 मेगावॉट क्षमता के पॉवर प्लांट से कुलिंग से 59 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर फीड से 23 घनमीटर प्रतिदिन, डीएम यूनिट एवं सॉफ्टनर से 70 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग से 72 घनमीटर प्रतिदिन (कुल 224 किलो लीटर प्रतिदिन) दूषित जल उत्पन्न होता है। टरबाईन बदलने के उपरांत पॉवर प्लांट से अतिरिक्त दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान में स्टील प्लांट डिवीजन में कुलिंग से 08 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग से 6.3 घनमीटर प्रतिदिन (कुल 14.3 घनमीटर प्रतिदिन) दूषित जल उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार के तहत स्टील प्लांट डिवीजन में कुलिंग से 06 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग से 05 घनमीटर प्रतिदिन तथा बैक वाशिंग एव जनरल वाशिंग से 17 घनमीटर प्रतिदिन (कुल 28 घनमीटर प्रतिदिन) दूषित जल उत्पन्न होगा। वर्तमान में दूषित जल के उपचार हेतु सेटलिंग टैंक, न्यूट्रिलाइजेशन टैंक, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था है। सेटलिंग टैंक एवं न्यूट्रिलाइजेशन टैंक से प्राप्त दूषित जल का पुनर्उपयोग फेरो एलॉय प्लांट में स्लेग क्वेचिंग, डस्ट सप्रेसन एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।
- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जाएगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का

प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न-भिन्न आकारों (Sizes) के 19 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 14,200 घनमीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न-भिन्न आकारों (Sizes) के 7 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता 5,000 घनमीटर होगी। उद्योग परिसर के भीतर कुल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता – 3,18,816 घनमीटर होना बताया गया है। इस परिपेक्ष्य में उपरोक्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
- 13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – वर्तमान में 45.7 एकड़ क्षेत्र में 26,616 नग पौधे रोपित किये गये हैं। क्षमता विस्तार तहत् 10.07 एकड़ क्षेत्र में 8,056 नग पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 55.77 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।
- 14. **विद्युत खपत** – प्लांट में 31.5 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के प्लांट/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
- 15. **लोक सुनवाई संबंधी विवरण:-**
  - लोक सुनवाई दिनांक 23/06/2018, समय 11:00 बजे, स्थान ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-सिलतरा तहसील व जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के ज्ञापन दिनांक 28/07/2018 द्वारा प्रेषित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते हुये मूल दस्तावेज दिनांक 21/08/2018 को प्रस्तुत किया गया है।
  - **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**
    - शिक्षित एवं कुशल बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय करने एवं पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में किये जाने वाले उपायों की जानकारी।
    - सी.एस.आर. के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये और चिकित्सा उपलब्ध कराये।
  - **लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में उद्योग प्रबंधन का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-**
    - प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आवश्यकतानुसार योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण किया जाएगा।
    - सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत् क्षेत्र के सर्वांगीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास, लोक कला एवं संस्कृति तथा स्थायी

विकास के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य सरपंच के सलाह एवं ग्राम वासियों के आवश्यकतानुसार किये जाते हैं। कंपनी की सी.एस.आर. पॉलिसी के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कौशल प्रशिक्षण देने के लिये एवं इसके संचालन हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाएगी।

16. **मॉनिटरिंग परिणामों संबंधी जानकारी –**

- मॉनिटरिंग कार्य नवंबर 2017 से जनवरी 2018 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 06 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 03 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
  - परिवेशीय वायु गुणवत्ता अध्ययन के प्राप्त परिणामों के अनुसार पीएम<sub>10</sub> 39.4 से 90.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम<sub>2.5</sub> 21.3 से 52.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.<sub>2</sub> 11.3 से 25.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं एन.ओ.<sub>एक्स</sub> 13.6 से 34.8 माईक्रोग्राम /घनमीटर है। मृदा गुणवत्ता अध्ययन किया गया है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार बताई गई है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.3 डीबीए से 54.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.6 डीबीए से 46.4 डीबीए पाया गया।
17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Additional Capital Investment (in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.182.73	0.75%	Rs. 137.05	Rain water harvesting structure, Solar Lamp, Solar Pump, sanitation Facilities and supply of drinking water, plantation in schools of nearby villages	75.00
			Green belt plantation at Naya Raipur in co-ordination with NRDA	60.00
			Environment Education with co-ordination to CECB	15.00
			<b>Total</b>	<b>150.00</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:—

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्षमता की मात्रा उद्योग परिसर के भीतर कुल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता — 3,18,816 घनमीटर कम है। इसकी क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी टीओआर के बिन्दु क्रमांक 13 के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery) प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दिनांक 30/08/2018 को संपन्न 253वीं बैठक के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 30/11/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** — समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:—

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2018 के परिपेक्ष्य में मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा अभिमत ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:—

“उद्योग द्वारा प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट अनुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता में नगण्य प्रभाव पड़ने की संभावना है।”

2. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मीटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये ग्राउंड वाटर रिचार्ज की कुल क्षमता—3,39,655 घनमीटर है। उद्योग द्वारा स्थापित ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स की क्षमता—14,200 घनमीटर है एवं प्रस्तावित 10 नग ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता—7,100 घनमीटर अतिरिक्त होना प्रस्तावित है। इस प्रकार उद्योग द्वारा कुल 21,300 घनमीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो कि जल उपभोग की कुल मात्रा तथा परिसर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कुल क्षमता से काफी कम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कुल क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:—

1. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मीटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव गणना सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उद्योग के परिसर में कुल रनऑफ की गणना की जाए तथा रनऑफ की पूर्ण मात्रा के हार्वेस्टिंग का उपयुक्त प्रस्ताव दिया जाए। तदनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. कुल 55.77 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव वृक्षारोपण की संख्या सहित प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 637)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 67791/ 2017, दिनांक 04/09/2017।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल – 18.5 हेक्टेयर, ग्राम-गोंदवारा, तहसील व जिला-रायपुर, एम.एस. राउंड्स एण्ड सीटीडी बार क्षमता-37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना स्थल पर एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता-1,05,600 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष, वॉयर ड्राइंग युनिट क्षमता-1,25,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, फलाई ऐश ब्रिक्स मैनुफेक्चरिंग प्लांट क्षमता-72,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल क्षमता- 1,50,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष, कोल बेस्ड सी.पी.पी. 16 मेगॉवाट, रिफाइनिंग फर्नेस क्षमता-03 एम.व्ही.ए. एवं कोल गैसीफॉयर प्लांट क्षमता 2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा का स्थापित एवं संचालित है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपये 15.56 करोड़ होगा। सी.एस.आई.डी.सी. के पत्र दिनांक 12/06/2007 द्वारा परियोजना स्थल (ग्राम-गोंदवारा) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित उरला ग्रोथ सेंटर में शामिल किया गया है।

**पूर्व बैठक का विवरण** – एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 238वीं बैठक दिनांक 13/10/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड क्षेत्र (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी की जाए।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा,

दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

6. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
7. ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 239वीं बैठक दिनांक 23/11/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/11/2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

## 2. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से इण्डक्शन फर्नेस रायपुर द्वारा हेतु दिनांक 30/05/2016 को एम.एस. राउंड, सी.टी.डी. बार आदि हेतु क्षमता – 37,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा एम.एस. इंगाट/बिलेट क्षमता – 1,05,600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई है।
  - वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई।

## 4. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 24.5 कि.मी., रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.9 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी लगभग 6.6 कि.मी. की दूरी पर है।
- 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।



5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – फ़ैक्ट्री शेड का क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर, निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, खुले क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर, रॉ-मटेरियल स्टोरेज एरिया का क्षेत्रफल – 2.0 हेक्टेयर, स्क्रेप यार्ड का क्षेत्रफल – 0.5, अन्य क्षेत्र का क्षेत्रफल – 5.3 हेक्टेयर, विस्तार हेतु क्षेत्र का क्षेत्रफल – 1.65 हेक्टेयर, रोड एवं पार्किंग क्षेत्र का क्षेत्रफल – 1.5 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 3.7 हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल – 18.5 हेक्टेयर है।
6. **रॉ-मटेरियल** – रोलिंग मिल में रॉ-मटेरियल के रूप में एम.एस. इंगाट/बिलेट –69,912 टन प्रतिवर्ष का उपयोग कर रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जाएगा। एम.एस. इंगाट/बिलेट परिसर में स्थापित एस.एम.एस. युनिट क्षमता – 1,05,600 टन प्रतिवर्ष से प्राप्त किया जाएगा।
7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**
  - एम.एस. इंगाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता – 1,05,600 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 27/11/2005 को जल एवं वायु सम्मति जारी किया गया एवं दिनांक 30/05/2016 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
  - वॉयर ड्राइंग युनिट क्षमता-1,25,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं फ्लाइ ऐश ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग प्लांट क्षमता-72,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 24/12/2010 को जल एवं वायु सम्मति जारी किया गया एवं दिनांक 01/08/2015 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। क्षमता विस्तार के तहत उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
  - रोलिंग मिल क्षमता-1,50,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष, कोल बेस्ड सी.पी.पी. 16 मेगॉवाट एवं कोल गैसीफ़ायर प्लांट क्षमता 2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11/02/2008 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 26/06/2008 को जल एवं वायु सम्मति जारी की गई एवं दिनांक 03/03/2015 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण किया गया। क्षमता विस्तार के तहत उक्त क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
  - रिफ़ाइनिंग फ़र्नेस क्षमता-03 एम.व्ही.ए. के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जल एवं वायु सम्मति जारी की गई एवं दिनांक 26/08/2017 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया।
  - पूर्व में बिलेट्स री-हीटिंग हेतु 37,500 टन प्रतिदिन क्षमता का ऑयल फायर्ड फ़र्नेस उपयोग किया जाता था। वर्ष 2013 से इस ऑयल फायर्ड फ़र्नेस का उपयोग नहीं कर हॉट चार्ज सिस्टम आधारित रोल्ड प्रोडक्ट का उत्पादन

किया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत क्षमता – 59,000 टन हॉट चार्जिंग सिस्टम से किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेस अथवा रोलिंग मिल की स्थापना नहीं की जाएगी। हॉट चार्जिंग सिस्टम आधारित रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार हेतु स्थापित हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल के कार्य समय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अतिरिक्त री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना/संचालन का प्रस्ताव नहीं है।
- 8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।
- 9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत मिल स्केल – 2445 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलायज निर्माण इकाईयों को विक्रय जाएगा। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
- 10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –
  - **जल खपत एवं स्रोत** – स्थापित परियोजना हेतु 13 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 01 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलु उपयोग हेतु 02 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति खारुन नदी से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण** – स्थापित परियोजना हेतु घरेलु दूषित जल की मात्रा 0.5 घनमीटर प्रतिदिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना की गई है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु घरेलु दूषित जल की मात्रा 1.0 घनमीटर प्रतिदिन होगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुर्नउपयोग किया जाता है। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।
  - **जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5010, दिनांक 26/10/2004 द्वारा खारुन नदी से 1.5 मिलियन घनमीटर प्रतिवर्ष जल उपयोग हेतु अनुमति ली गई है। भू-जल का उपयोग नहीं किया जाता है, जल की आपूर्ति खारुन नदी से किया जाता है एवं यह व्यवस्था क्षमता विस्तार के लिये भी लागू होगी।**
  - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग किया जाना है। इसी प्रकार ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग से जितनी मात्रा में जल रिचार्ज किया जाएगा, उससे अधिकतम दुगनी मात्रा निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड

द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किये गये हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु क्षमता – 30,000 घनमीटर का वॉटर रिजर्ववॉयर निर्मित किया गया है।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल होने के कारण रोलिंग मिल से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा निरंक है। क्षमता विस्तार उपरांत हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल होने के कारण डस्ट उत्सर्जन की मात्रा शून्य होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से 1540 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् 2445 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा यथावत (2) प्रतिवर्ष स्टील उत्पादन में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे फेरो एलॉयज इकाईयों में रिसायकल किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।
12. **विद्युत खपत** – वर्तमान में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं क्षमता विस्तार उपरांत 4000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना में कुल क्षेत्र के 20 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् 3.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 10,000 नग वृक्षारोपण किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी मंगाई जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/11/2017 के परिपेक्ष्य में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 05/02/2018 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

1. “उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने पर पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है।”

2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति की दिनांक 19/07/2018 को संपन्न 249वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी / अभिमत का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:—

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म-2 की प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु एवं परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/09/2018 के परिपेक्ष्य में ज्ञापन प्रेषित किया गया है।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:—

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 22/10/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 20/04/2018 के द्वारा जारी फॉर्म-2 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव सुसंगत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव गणना सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिंदुओं पर चाही गई जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत क्षमता विस्तार के विनियोग का 1 प्रतिशत समीपस्थ शासकीय स्कूल/महाविद्यालय में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण आदि में व्यय किए जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मीटर की मात्रा में कमी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव गणना सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. उद्योग के परिसर में कुल रनऑफ की गणना की जाए तथा रनऑफ की पूर्ण मात्रा के हार्वेस्टिंग का उपयुक्त प्रस्ताव दिया जाए। तदनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, ग्राम-लिम्हा, तहसील व जिला-बिलासपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 311)**

**आवेदन** – यह आवेदन पत्र क्रमांक टीसीबीएल/बीएसपी/17/006, दिनांक 04/01/2018 के द्वारा ऑफलाईन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/12/2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह एक वेट टाईप कोल वॉशरी परियोजना है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्थल ग्राम-लिम्हा, तहसील व जिला-बिलासपुर स्थित है। परियोजना स्थल का कुल क्षेत्रफल – 8.07 हेक्टेयर (19.93 एकड़) है। परियोजना का विनियोग रुपये 142.5 लाख है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 913, दिनांक 22/01/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में शर्त क्रमांक 9 “Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 06 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 05 meters along with rain gun shall be constructed over the boundary wall to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas.” में संशोधन करते हुए 3 मीटर किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:-

उपरोक्त अनुरोध के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को तथ्यात्मक बिंदुओं सहित प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स आर.आर. इस्पात युनिट-2 (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), ग्राम-उरला, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 734)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28427/ 2018, दिनांक 26/07/2018।

**प्रस्ताव का विवरण** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 271/11, 262/6, 262/3, 271/8, 271/62, 271/63, 271/64, 262/2 एवं 271/पार्ट, कुल क्षेत्रफल - 2.194 हेक्टेयर (5.42 एकड़) में स्टील मेल्टिंग शॉप (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता-59,400 टन प्रतिवर्ष (02 नग गुणा 12 टन) एवं रोल्ड प्रोडक्ट क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,500 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रूप 22.80 करोड़ होगा।

**पूर्व बैठक का विवरण** - एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दिनांक 31/08/2018 को संपन्न 254वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त की जाए।
3. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. आवश्यक रॉ-मटेरियल एवं उत्पाद की मात्रा एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? री-हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत इण्डक्शन फर्नेस हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई संबंधी गणना सहित जानकारी। क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल में यदि री-हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो री-हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
7. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
8. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (संख्या एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत की जाए।
9. ले-आउट में स्थापित एवं प्रस्तावित सभी कार्यकलापों एवं वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/09/2018 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति की दिनांक 03/10/2018 को संपन्न 255वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री दिनेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:—

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉल्यूटेड एरिया (Severely Polluted Area) में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/09/2018 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।
3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
  - समीपस्थ आबादी ग्राम—उरला 1 कि.मी. एवं रायपुर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 3.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।
  - परियोजना के बाउंड्री से लगा हुआ उत्तर दिशा में मेसर्स ग्रेविटी फेरो, दक्षिण दिशा में मेसर्स अलोक फेरो एलॉयज लिमिटेड, पूर्व दिशा में गेल्वेनाईजिंग एण्ड टीएलटी डिविजन, मेसर्स हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड एवं मेसर्स हीरा पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, पश्चिम दिशा में भूमि रिक्त है।
  - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – रोलिंग मिल एवं स्टील मेल्टिंग शॉप का क्षेत्रफल 4.005 एकड़, रोड एवं खुला क्षेत्र 2.482 एकड़, तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.033 एकड़ होगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7.52 एकड़ है।
5. **रॉ-मटेरियल** –

<b>Raw Material &amp; finished products of the Rolling mill and SMS</b>		
<b>Name of Raw Material</b>	<b>Quantity (TPA)</b>	<b>Mode Transport</b>
Sponge Iron	64,550	By Road
Scrap	7,805	By Road
Flux	507	By Road
Silico Manganese (Ferro)	890	By Road
Coal for Gasifier	8,800	By Road
Billets	63,665	By Road

<b>Fuel Requirement for Gasifier</b>				
	<b>Products</b>	<b>Unit</b>	<b>Producer gas requirement</b>	<b>Fuel (Coal for Gasifier)</b>
Existing	Rolled Products	30,000 TPA	95,40,000 Nm <sup>3</sup>	4,400 TPA
	Binding wire	30,000 TPA	95,40,000 Nm <sup>3</sup>	4,400 TPA
Proposed	Rolled Products	59,500 TPA	1,98,21,000 Nm <sup>3</sup>	7,735 TPA

वर्तमान में गैसीफायर हेतु 3,000 Kcal / Kg कोल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जिससे प्रतिटन 147 कि.ग्रा. कोयले (कुल 8,800 टन) की आवश्यकता होगी। क्षमता विस्तार के तहत गैसीफायर हेतु 3,500 Kcal / Kg का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जिससे प्रतिटन 130 कि.ग्रा. कोयले (कुल 7,735 टन) की आवश्यकता होगी। इस प्रकार गैसीफायर हेतु उच्च गुणवत्ता के कोयले का उपयोग करने से इसकी मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

- वर्तमान में कोल गैसीफायर आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं बाईडिंग वॉयर क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त की गई है। रोलिंग मिल क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। क्षमता विस्तार के तहत 01 शिफ्ट से बढ़ाकर 02 शिफ्ट करते हुए क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि सम्मति प्राप्त बाईडिंग वॉयर प्लांट क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना नहीं किया जाएगा।
- प्रस्तावित स्टील मेल्टिंग शॉप के तहत इंडक्शन फर्नेसेस (02 गुणा 12 टन) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त इगांट्स/बिलेट्स को रोलिंग मिल में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।



7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु हीटरिकुपरेटर एवं साइक्लोन वॉटर स्क्रबर तथा 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। स्टील मेल्टिंग शॉप में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।
8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल से मिल स्केल-1,097 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग-595 टन प्रतिवर्ष, क्लिकर ऐश-3,094 टन प्रतिवर्ष, टार-08 किलोलीटर प्रतिदिन एवं स्टील मेल्टिंग शॉप से स्लेग-13,840 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को प्रस्तावित स्टील मेल्टिंग शॉप में उपयोग किया जाएगा। क्लिकर ऐश समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को विक्रय किया जाएगा। स्लेग से मेटल रिकवर कर स्टील मेल्टिंग शॉप में उपयोग एवं शेष को लैण्ड फिलिंग हेतु किया जाएगा। टार को अधिकृत रिसायक्लर इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।
9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –
- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में रोलिंग मिल परियोजना हेतु कुल 50 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल परियोजना हेतु अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होगी एवं स्टील मेल्टिंग शॉप परियोजना हेतु 360 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार हेतु भी अपनाई जाएगी।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
  - **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
    - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जाना है।
    - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
    - (स) ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति दिनांक 10/04/2018 द्वारा प्राप्त किया गया है।
  - **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाएगा।

10. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल परियोजना हेतु 04 मेगावाट एवं स्टील मेल्टिंग शॉप परियोजना हेतु 10 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. प्रस्तुत भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज अपूर्ण है। पूर्ण प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु जारी सम्मति शर्तों के पालन में की कार्यवाही की बिन्दुवार आवश्यक जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का संशोधित विवरण (संख्या एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान में सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस एवं बाईन्डिंग वॉयर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर एवं गैसीयस उत्सर्जन की निर्धारित मात्रा एवं क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल री-हीटिंग फर्नेस तथा इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर एवं गैसीयस उत्सर्जन की मात्रा टन प्रतिवर्ष में गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया जाना बताया गया है। इस बाबत सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के समय कुल क्षेत्रफल – 2.194 हेक्टेयर (5.42 एकड़) बताया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट एवं ले-आउट प्लान में कुल क्षेत्रफल – 7.52 एकड़ बताया गया है। प्रस्तुत जानकारियों में भिन्नता है। इन विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव KML File सहित प्रस्तुत की जाए।

समिति की दिनांक 03/10/2018 को संपन्न 255वीं बैठक के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 24/10/2018 एवं 26/10/2018 को प्रस्तुत की गई।

समिति की दिनांक 28/10/2018 को संपन्न 261वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:—

1. भूमि स्वामित्व / भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है।
2. वर्तमान में उद्योग निर्माणाधिन है अतः पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सम्मति के कार्यावाही की बिन्दुवार जानकारी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दी जाएगी।

3. वर्तमान में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं के लिए हाइड्रोजियोलाजिस्ट से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर उचित एवं उपयुक्त संख्या में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का निर्णय किया जाएगा।
4. वर्तमान में सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस एवं बाईन्डिंग वॉयर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर एवं गैसीयस उत्सर्जन की निर्धारित मात्रा एवं क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल री-हीटिंग फर्नेस तथा इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर एवं गैसीयस उत्सर्जन की मात्रा टन प्रतिवर्ष में गणना कर संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस एवं बाईन्डिंग वॉयर प्लांट से उत्पादन किए जाने से एसओ<sub>2</sub> उत्सर्जन की मात्रा 87.90 टन प्रतिवर्ष एवं पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 1.19 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप से एसओ<sub>2</sub> उत्सर्जन की मात्रा 77.35 टन प्रतिवर्ष एवं पार्टिकुलेट मेटर डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7.08 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है। प्रस्तुत प्रदूषण भार में प्रस्तावित रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा 1.41 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जो सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल से अधिक है। इसे कम किए जाने पर विचार किया जाना संभव होगा। साथ ही सम्मति प्राप्त प्रस्तावित बाईन्डिंग वॉयर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा 1.19 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जो वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। अतः गणना कर संशोधित प्रदूषण भार की जानकारी लिया जाना आवश्यक है।
5. जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया जाना बताया गया है। इस बाबत सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त अनुमति पत्र दिनांक 25/10/2018 की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में सीएसआईडीसी से प्राप्त 5 एकड़ बंजर भूमि का विकास कर वृक्षारोपण एवं सिंचाई हेतु टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) पद्धति विकसित कर क्षेत्र को ऑक्सिजन बनाया गया था। जिसे हेतु प्रस्तावित क्षमता विस्तार में होने वाली लागत (10 करोड़) का 01 प्रतिशत व्यय किया जाएगा।
7. उद्योग द्वारा आवेदन के समय कुल क्षेत्रफल – 5.42 एकड़ बताया गया था चूंकि समस्त आवश्यक सुविधा एवं पर्यावरणीय व्यवस्था हेतु भूमि क्षेत्र को 7.52 एकड़ किया गया है, जो उद्योग के नाम पर है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. वर्तमान में प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) में समिति द्वारा चाही गई प्रस्ताव का समावेश नहीं किया गया है। अतः समीपस्थ शासकीय स्कूल/महाविद्यालय में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण आदि का समावेश कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत प्रदूषण भार में प्रस्तावित रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा 1.41 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जो सम्मति प्राप्त रोलिंग मिल से अधिक है। इसे कम किए जाने पर विचार किया जाना संभव होगा। साथ ही सम्मति प्राप्त प्रस्तावित बाईन्डिंग वॉयर प्लांट से पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा 1.19 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जो वास्तविक

प्रतीत नहीं होती है। अतः गणना कर संशोधित प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

समिति की दिनांक 28/10/2018 को संपन्न 261वीं बैठक के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अस्पष्ट है।

**समिति द्वारा बैठक में विचार** – समिति की दिनांक 07/12/2018 को संपन्न 264वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछनीय जानकारियां यथा प्रदूषणभार संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारियां/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

**(जी.एल. सांकला)**

सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति  
छत्तीसगढ़

**(धीरेन्द्र शर्मा)**

अध्यक्ष

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति  
छत्तीसगढ़

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR INDUCTION FURNACE (4 X 12 MT) TO PRODUCE MILD STEEL BILLETS OF CAPACITY- 2,00,000 TONNES / YEAR AND RE ROLLED STEEL PRODUCTS (THROUGH HOT CHARGED) OF CAPACITY - 1,90,000 TONNES / YEAR OF M/S LAXMIKRIPA STEELS AND POWER PVT. LIMITED**

**I. Statutory Compliance:**

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

**II. Air Quality Monitoring and Preservation**

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31<sup>st</sup> March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub> in reference to PM emission, and SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in reference to SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 48 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 35 mg/Nm<sup>3</sup> all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise,

similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	35 mg/Nm <sup>3</sup> (Thirty Five Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

### III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office

- of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
  - v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
  - vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

#### **IV. Noise Monitoring and Prevention**

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

#### **V. Energy Conservation Measures**

- i. The project proponent shall not utilize any solid / liquid / gases fuel such as coal, furnace oil, diesel, producer gas etc. in any form as a fuel. Hot ingot / Billets received through CCM shall be hot charged in the Rolling Mill. No reheating furnace(s) shall be installed for reheating the ingots / billets.
- ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

#### **VI. Waste Management**

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

#### **VII. Green Belt**

- i. Green belt shall be developed in an area equal to 34.79% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.

- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

### VIII. Public Hearing & Human health Issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

### IX. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1<sup>st</sup> May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 4775	2%	Rs. 95.50	Drinking water arrangement, Solar system and drainage system at nearby villages	40.00
			Medical facilities like: Ambulance, infrastructure development in Govt. hospitals & facilities of Pathology lab equipments	50.00
			Green belt plantation at Atal Nagar in co-ordination with ANVP	10.00
			<b>Total</b>	<b>100.00</b>

- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental



- / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
  - iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
  - v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
  - vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

## **X. Miscellaneous**

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

- viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

**Member Secretary, SEAC**

**Chairman, SEAC**

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR MILD STEEL INGOTS / BILLETS (THROUGH INDUCTION FURNACE ALONG WITH CCM) OF CAPACITY- 57,600 TONNES / YEAR AND RE-ROLLED STEEL PRODUCT OF CAPACITY- 1,00,000 TONNES / YEAR (54,000 TONNES / YEAR THROUGH EXISTING REHEATING FURNACE BASED ON COAL GASIFIER AND 46,000 TONNES / YEAR THROUGH HOT CHARGING),**  
**M/S SHIVALI UDYOG (I) LIMITED**

**I. Statutory Compliance:**

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

**II. Air Quality Monitoring and Preservation**

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31<sup>st</sup> March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub> in reference to PM emission, and SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> in reference to SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter and in re-heating furnace of re-rolling mill with minimum 35 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm<sup>3</sup> all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm <sup>3</sup> (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	--

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

### III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31<sup>st</sup> March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

### IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

#### **V. Energy Conservation Measures**

- i. Minimum 54,000 tonnes/year Re-rolled products shall be based on hot charging. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.
- ii. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace. Only gas from producer gas plant shall be used in existing reheating furnace as a fuel. No additional reheating furnace(s) shall be installed.
- iii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

#### **VI. Waste Management**

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be sold to slag crushing units. Defective billets/runner riser and miss rolls shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Coal ash shall be provided to bricks manufacturing units. Oily sludge, refractory waste etc. shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

#### **VII. Green Belt**

- i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes.
- ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

#### **VIII. Human health Issues**

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

## IX. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1<sup>st</sup> May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 1500	1%	Rs. 15.00	Rain Water Harvesting, Water Arrangement for Toilet and R.O. for drinking water and plantation in nearby identified schools premises.	10.00
			Green belt plantation at Atal Nagar in co-ordination with NRDA	5.00
			<b>Total</b>	<b>15.00</b>

- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.
- vii. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

## X. Miscellaneous

- i. No additional land shall be acquired for this project.
- ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost

- by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
  - v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
  - vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
  - vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
  - viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
  - ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
  - x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
  - xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
  - xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
  - xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
  - xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
  - xv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
  - xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
  - xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

**Member Secretary, SEAC**

**Chairman, SEAC**